दूरभाष नं0 01792-275025
फैक्स नं0 01792-275425

संख्या-सी0बी0एस0/1/15/-367
छावनी परिषद्,
सुबाथू - 173206,
जिला-सोलन, (हि0प्र0),

07 सितम्बर, 2017 ।

## सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19-09-2017 को 11:00 बजे छावनी परिषद् कार्यालय, सुबाथू में बैरक संख्या-13 के समीप कियोस्क को दिनांक 01.10.2017 से 30.09.2022 तक की अवधि के लिए नीलाम किया जायेगा।

## शर्तें

1. इच्छुक व्यक्ति को बोली देने से पहले 5000/-रूपये की नकद राशि धरोहर राशि के रूप में इस कार्यालय में जमा करवानी होगी । यह राशि उस व्यक्ति को वापिस कर दी जायेगी जो बोली में असफल रहेगा तथा जो व्यक्ति बोली में सफल होगा उसकी बोली की राशि में उक्त राशि का समायोजन कर लिया जायेगा ।

2. अधिकतम बोली दाता छावनी परिषद् सुबाथू को लीज़ रैन्ट का भुगतान निम्नलिखित ढंग से करेगा:-

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम वर्ष 01.10.2017 से 30.09.2018 तक | : | लीज़ रैन्ट की पूरी राशि का भुगतान बोली के छूटते ही नकद जमा करवाना होगा । चैक स्वीकार्य नहीं होगा । |
| द्वितीय वर्ष 01.10.2018 से 30.09.2019 तक | : | लीज़ रैन्ट की पूरी राशि का भुगतान 15.10.2018 को या इससे पहले जमा करवाना होगा । |
| तृतीय वर्ष 01.10.2019 से 30.09.2020 तक | : | लीज़ रैन्ट की पूरी राशि का भुगतान 15.10.2019 को या इससे पहले जमा करवाना होगा । |
| चौथा वर्ष 01.10.2020 से 30.09.2021 तक | : | लीज़ रैन्ट की पूरी राशि का भुगतान 15.10.2020 को या इससे पहले जमा करवाना होगा । |
| पाँचवा वर्ष 01.10.2021 से 30.09.2022 तक | : | लीज़ रैन्ट की पूरी राशि का भुगतान 15.10.2021 को या इससे पहले जमा करवाना होगा । |

*क्रमशः... पृष्ठ... 2... पर...*

3. अधिकतम बोली दाता को बोली की पूरी राशि का 20% भाग जमानत के रूप में बोली के छूटते ही जमा करवाना होगा। यह जमानत की राशि तब तक वापिस नहीं की जायेगी जब तक यह लीज़ समाप्त नहीं हो जाती। जमानत की राशि को 100/- रूपये की निकटतम राशि में स्वीकार किया जायेगा।

4. अधिकतम बोली अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकार की जायेगी जोकि उस समय तक मान्य नहीं होगी जब तक छावनी परिषद् सुबाथू द्वारा इसका पुष्टिकरण नहीं किया जाता। छावनी परिषद्, सुबाथू को यह पूर्ण अधिकार है कि वह बिना कारण बताये किसी की भी बोली को अस्वीकार कर सकता है।

5. अधिकतम बोली दाता को छावनी परिषद्, सुबाथू के साथ 10/-(दस) रूपये का नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर जोकि उसी ही व्यक्ति को लाना होगा, अनुबन्ध (एग्रीमैन्ट) करना होगा। यह अनुबन्ध उसे उसकी बोली की स्वीकृति की पुष्टि की सूचना के 15 दिनों के अन्दर-अन्दर करना होगा।

6. इस परिसर का उपयोग सामान्य वस्तुएं/डेली नीडज़ की वस्तुएं बेचने हेतु किया जायेगा। इस कियोस्क में किसी भी तरह के मांस व मंदिरा का विक्रय निषेध है।

7. इस सार्वजनिक सूचना पत्र में वर्णित शर्तें अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

8. अधिकतम बोली दाता कियोस्क का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करेगा जिसका उल्लेख ऊपर खण्ड ;6द्ध में किया गया है।

9. अधिकतम बोली दाता उपरोक्त कियोस्क में अपने हितों को किसी अन्य व्यक्ति को पूर्णत: या अंशत उप पट्टे पर देने का हकदार नहीं है चाहे वह उप-पट्टे के रूप में हो या अन्यथा।

10. अधिकतम बोली दाता को कियोस्क और इसके आस-पास की जगह को साफ और स्वच्छ रखेगा ताकि यात्रियों और आस-पास के लोगों को कोई असुविधा न हों। वह छावनी परिषद् के सभी नियमों तथा उप-नियमों का पालन करेगा, उसे सभी प्रकार के करों, लाईसैंस फीस जोकि किसी विधिसंगत प्राधिकार द्वारा लगाए गए हों, की अदायगी करनी होगी।

11. अधिकतम बोली दाता उपरोक्त कियोस्क में अद्योहस्ताक्षरी की लिखित आज्ञा के बिना कोई निर्माण नहीं करेगा।

12. कोई भी व्यक्ति जो छावनी परिषद्, सुबाथू का ऋणी है को बोली देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

13. मुख्य अधिशासी अधिकारी, सुबाथू किसी की भी बोली को अस्वीकार कर सकता है उस स्थिति में बोलीदाता द्वारा बोली छूटने पर जमा करवाई गई पूरी राशि को बिना किसी ब्याज के वापिस कर दिया जायेगा।

14. (क) यदि बोली दाता बोली देने के पश्चात् बोली की राशि जमा नहीं करवाता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

*क्रमशः... पृष्ठ... 3... पर...*

(ख) यदि सफल बोली दाता नीलामी की शर्तों से पीछे हटता है या अपने द्वारा दी गई अधिकतम बोली को किसी भी समय अस्वीकार करता है या कियोस्क को बीच में छोड़ता है तो उसकी जमानत की पूरी राशि तथा उस वर्ष के लिए दी गई लीज़ रैन्ट की पुरी राशि जब्त कर ली जायेगी ।

15. यदि सफल बोली दाता बोली देकर बोली की राशि जमा नहीं करवाता है तो वह भविष्य में छावनी परिषद कार्यालय द्वारा करवाई जाने वाली किसी भी नीलामी में हिस्सा/भाग लेने का हकदार नहीं होगा ।

16. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य शर्त होगी तो वह नीलामी शुरू होने से पहले सुना दी जायेगी ।

17. यदि किन्हीं कारणों से छावनी परिषद सुबाथू को इन दुकानों की आवश्यकता पड़ती है तो कोई किसी भी समय 15 दिन का नोटिस देकर इन दुकान/कियोस्क को खाली करवा सकता है । *

तनु

मुख्य अधिशासी अधिकारी, सुबाथू
(तनु जैन)

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अधिशासी अधिकारी,
कसौली/डगशाई/जुतोग ।
- सूचनार्थ तथा अपने से समबन्धित छावनी क्षेत्र में मुनादी करवाने हेतु ।

2. सचिव,
नगरपालिका,
सोलन/नालागढ़ ।
- सूचनार्थ एवं मुनादी करवाने हेतु ।

3. प्रधान,
ग्राम पंचायत,
धर्मपुर/कक्ड़हट्टी ।
- सूचनार्थ एवं मुनादी करवाने हेतु ।

4. सफाई निरीक्षक,
छावनी परिषद, सुबाथू ।
- समस्त छावनी क्षेत्र में मुनादी करवाने हेतु ।

5. समस्त निर्वाचित सदस्य,
छावनी परिषद, सुबाथू ।
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

6. समस्त सूचना पट्ट ।

7. नीलामी रजिस्टर ।

* और लीज़ को समाप्त कर सकता है । जिसके लिए कोई भी उच्चतम बोलीदाता इन दुकान/कियोस्क का हकदार नहीं होगा ।